

कार्यालय: जिला एवं सेशन न्यायाधीश, धौलपुर


क्रमांक : स्था./2021/62

दिनांक : 23/04/2021

—: आदेश :-

इस न्यायक्षेत्र में कार्यरत समस्त कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना पदस्थापन/कार्यरत मुख्यालय का परित्याग नहीं करें। कर्मचारी की चकानुसार ड्युटी न होने पर भी वह पदस्थापन/कार्यरत मुख्यालय पर निरन्तर उपस्थित रहेंगे जिससे किसी असामान्य/विशेष परिस्थिति में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। पीठासीन अधिकारीगण को भी निर्देश दिया जाता है कि असामान्य परिस्थिति के अतिरिक्त किसी भी कार्मिक को मुख्यालय परित्याग की अनुमति न दी जावे।

यदि किसी कार्मिक द्वारा पीठासीन अधिकारी को कार्मिक या उसके किसी परिवारीजन को कोरोना लक्षण की सूचना दी जाती है तो नगेटिव **RTPCR** रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर ही कार्मिक को **Duty join** करने की अनुमति दी जावे तब तक की अवधि के लिए सम्बन्धित कार्मिक का अवकाश स्वीकृत किया जावे।



23.4.21
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
धौलपुर

क्रमांक :- स्था./2021/1237-1240

दिनांक:-23.04.2021

प्रतिलिपि निर्देशानुसार निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् पीठासीन अधिकारीगण, समस्त न्यायालय/अधिकरण, धौलपुर न्यायक्षेत्र
2. श्रीमान् सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धौलपुर।
3. कम्प्युटर लिपिक को भेजकर लेख है कि आदेश को तुरंत जिला न्यायालय की अधिकृत वेबसाईट एवं समस्त न्यायालय की ई-मेल आईडी पर अपलोड करें।
4. आदेश/संबन्धित पत्रावली।


वरिष्ठ मुंसरिम
जिला न्यायालय, धौलपुर